115

गया समाहरणालय, गया

(जिला कल्याण कार्यालय)

<u>कार्यालय आदेश</u>

1 जिला कल्याण कार्यालय, गया से लिए गए अस्थायी अग्रिम कि वसूली हेतु कार्यालय के पत्रांक–43 दिनांक– 29.07.2022, पत्रांक–1983 दिनांक–24.08.2022, पत्रांक–2093 दिनांक–31.08.2022 एवं पत्रांक–2274 दिनांक–21.09.2022 द्वारा **चम्पारण इन्टरप्राजेज विकास बिहार कॉलनी फुलवारीशरिफ पटना पिन– 801505 GST N0- 10GIHPK4394E1ZD** को कारणपृच्छा किया गया था। कारणपृच्छा में वित्तीय अनियमित्तता की राशि का व्यतिक्रमण के बिन्दुओं पर एजेंसी को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था।

2. एजेंसी द्वारा समय व्यतीत होने के बावजूद किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया गया है।

3. समायोजन के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि **57081944 (पांच करोड़ सत्तर लाख एक्कासी हजार नौ सौ चौवालीस)** रूपये राशि के विरूद्ध [redacted] राशि का समायोजन विभिन्न विपत्रों के माध्यम से किया गया है। अभी भी कुल– **57081944 (पांच करोड़ सत्तर लाख एक्कासी हजार नौ सौ चौवालीस)** रूपये राशि के विरूद्ध विपत्र अनुपलब्ध है, जिससे स्पष्ट होता है कि एजेंसी द्वारा गलत नियत से अग्रिम निकासी का पूर्ण समायोजन नहीं किया जा रहा है।

4. इस प्रकार कुल–**57081944 (पांच करोड़ सत्तर लाख एक्कासी हजार नौ सौ चौवालीस)** रूपये राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त कर एजेंसी द्वारा सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाया गया है तथा उनके गलत मंशा के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्यो के निष्पादन में कठिनाई हुई है एवं सरकार की छवि धूमिल हुई है।

अतएव उक्त के आलोक में एजेंसी **चम्पारण इन्टरप्राजेज विकास बिहार कॉलनी फुलवारीशरिफ पटना पिन– 801505** को तत्काल प्रभाव से काली सूची में दर्ज किया जाता है।

28.9.22

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गया।

ज्ञापांक 2377 जि0क0 दिनांक– 29/09/2022

प्रतिलिपिः– चम्पारण इन्टरप्राजेज विकास बिहार कॉलनी फुलवारीशरिफ पटना पिन– 801505 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनचार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी उप निदेशक, कल्याण, बिहार, पटना को सूचनचार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार पटना को सादर सूचनचार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार पटना को सादर सूचनचार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनचार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनचार्थ प्रेषित।

28.9.22

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गया।